01/5/18 पत्रावली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।
पेश हुई। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन
किया प्रकरण के न्यायालय के आदेश
दि. 23/9/14 को श्री आर्य जाटव
द्वारा गया है, जिसको करीब 3 वर्ष
से भी अधिक का समय हो चुका है

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

Scanned by CamScanner

जिसके आगे दिनांक तक प्रार्थी
पक्ष का स्थगन देय नहीं
किया गया है एवं कि इस मामले
में प्रार्थी पक्ष अन्तर्गत विवेकाधीन
उ० नियम के निरस्त किया जाना
उचित है अतः इस न्यायालय द्वारा
जारी डी० आर० आदेश दिनांक
3 अगस्त को तत्काल वापस लिया जाकर
विपक्षगण को पुनः अवसर
देकर न्याय हित में आदेश पारित
किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

Scanned by CamScanner